

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व स्वयं करा करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यक्तिगत, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की शिकायत में नियम का कोई उल्लंघन नहीं होगा तथा न ही नियम किसी दलित्युक्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक नियम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

प्रकार खिड़की केवल आवासीय प्रयोजनार्थ
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 486 दिनांक 31/01/2020

जी +)
 आवासीय

प्राचीनगण 0 प्रेम किशोर कंसल एवं 2 श्रीमती मीना कंसल
 ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P.No: 98 मधुसूता सेक्टर 4
 धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय सेक्टर की शास्त्री नगर
 भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश
 कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 23666/- जमा
 करिये रसीद संख्या 1028/1536, 1537
 दिनांक 31/01/2020 को जमा करा दी है ।

31/01/2020

सहायक नगर नियोजक
 नगर निगम, जोधपुर

Received
 M. P. Dada
 9414295929